

संख्या 1933/1-10-2011-14(23)/2004

प्रेषक

के०के० सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

प्रमुख सचिव
गृह विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 07 जुलाई, 2011

विषय: वित्तीय वर्ष 2011-12 में आपदा राहत कार्यों हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

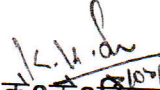
उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 30.06.2011 में लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में दैवीय आपदा से निपटने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि **रु० 3,40,96,500/-** (रुपये तीन करोड़ चालीस लाख छियानबे हजार पाँच सौ मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र० सं०	मद	स्वीकृत धनराशि (लाख रु० में)	अवमुक्त धनराशि (लाख रु० में)
1.	31 अद्द अल्युमोनियम रेस्क्यू बोट रु० 8 लाख प्रति बोट की दर से	248.00	248.00
2.	मोटरबोटों एवं अन्य उपकरणों की मरम्मत हेतु	25.00	12.50
3.	प्राकृतिक आपदा के कारण बचाव कार्य हेतु उपकरणों के क्रय हेतु	22.00	11.00
4.	17 बाढ़ राहत कम्पनियों के प्रशिक्षण सामग्री एवं प्रशिक्षण व्यय हेतु	138.93	69.465
	योग	433.93	340.965

2 उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03- आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3. शासन द्वारा स्वीकृति धनराशि में से यदि बचत संभव हो तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2012 से पूर्व आपदा राहत निधि के नाम से बने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जायेगा।
4. आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यो हेतु ही किया जाय। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। प्रमुख सचिव गृह विभाग उ0प्र0 शासन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।
5. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।
6. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,


(क०के०सिन्हा)

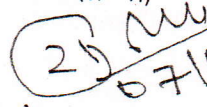
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या - 1933 / 1-10-2011-14(23) / 2004, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा) / (आडिट) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. पुलिस महानिदेशक पी0ए0सी0 मुख्यालय, लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / समीक्षा अधिकारी, लेखा राजस्व अनुभाग-10 / राजस्व अनुभाग-6 / 11 / राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।